चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 05 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(1).उ0नि0 श्री अशोक कुमार मिश्रा थाना सरधुवा व रिक्रूट आरक्षी मनीष त्रिपाठी,रिक्रूट आरक्षी चन्दजीत यादव व मुख्य आरक्षी चालक बृजेंद्र सिंह द्वारा वाद संख्या 3819/2023 धारा 354क,457 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त कुलदीप कुमार पुत्र कृष्णावतार निवासी वसंतपुर थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2).उ0नि0 श्री वंशनारायण सिंह थाना मानिकपुर व मुख्य आरक्षी संदीप देव द्वारा अ0सं0 75/25 धारा 324(2),351(3),352 बीएनएस व 3(1) द,ध के वारंटी अभियुक्त बबलू उर्फ ठोकिया यादव पुत्र देवगुलाम यादव निवासी गढ़चपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3).उ0नि0 श्री कन्हैयाबख्स सिंह थाना मानिकपुर व आरक्षी आरिफ अंसारी द्वारा अ0सं0 1524/09 धारा 147,148,149,306,506 भादवि के वारंटी अभियुक्त काली कोल उर्फ तारा चंद्र कोल पुत्र पट्टू कोल निवासी ग्राम चूही मजरा बराहमाफी थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4).उ0नि0 श्री सुनील कुमार राय थाना रैपुरा व आरक्षी राघवेन्द्र मौर्या द्वारा अ0सं0 43/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारंटी अभियुक्त जोगुवा पुत्र सिहोदिया निवासी इटवा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्ता किया गया।

(5). उ0नि0 श्री अमरेंद्र सिंह कोतवाली कर्वी व आरक्षी अनिकेत द्वारा अ0सं0 675/18 धारा 387,504,506 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त ऋतिक पुत्र अनिल सिंह निवासी भीठा खेड़ा लुढवारा कोतवाली कर्वी को गिरफ्तार किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री वीरेन्द्र राम व उनकी टीम ने दहेज हत्या के 02 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 21.04.2026 को वादी सुशील कुमार द्विवेदी पुत्र सुखी महाराज उर्फ गुरुदेव प्रसाद निवासी भरथौल, थाना भरतकूप, जनपद- चित्रकूट द्वारा थाना भरतकूप पर सूचना दी कि उनकी पुत्री साधना उम्र 20 वर्ष गाँव में ही योगेन्द्र मिश्रा पुत्र विनोद कुमार मिश्र के साथ दिनांक 18-01-2025 को ब्याही गयी थी और अपनी हैसियत से अधिक दान दहेज रूपये व सोने,चाँदी के जेवरात दे कर शादी की थी परन्तु उनकी पुत्री के पति, सास,ससुर विनोद कुमार पुत्र शारदा प्रसाद, देवर शुभम मिश्रा व चाचा ससुर चन्द्र भूषण मिश्र पुत्र शारदा प्रसाद सभी लोग मिलने वाली दहेज से सन्तुष्ट नहीं थे और अतिरिक्त दहेज की माँग कर प्रताडित करते थे। एक दिन सुबह में मामा के लड़के ने फोन करके बताया कि साधना को उसके पति व ससुराल वालों ने मार डाला गया है। इस सूचना पर थना भरतकूप में मु0अ0सं0 60/26 धारा 80(2),85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया। आज दिनाँक 07.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना भरतकूप पुलिस टीम ने अभियुक्तगण 1.योगेन्द्र मिश्रा उर्फ नन्हा पुत्र विनोद कुमार मिश्रा उर्फ राजा 2.विनोद कुमार मिश्रा उर्फ राजा पुत्र शारदा प्रसाद निवासीगण भरथील थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 वीरेन्द्र राम

2.का0 अखिलेश तोमर

3.का० नरेन्द्र सिंह

4.चालक का० प्रवीण पाण्डेय

(4). आज दिनांक 07.06.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा-2026 को शुचितापूर्ण एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने जाने के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा जनपद के परीक्षा केन्द्र चित्रकूट इण्टर कॉलेज कर्वी का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। भ्रमण के दौरान परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों के प्रवेश एवं निकास व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, कक्षों की व्यवस्था तथा पुलिस बल की तैनाती का जायजा लिया गया।

उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस प्रशासन द्वारा परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।